**प्रथम अपील का प्ररूप**

न्यायालय जिला न्यायाधीश ..............

सिविल अपील सं............ सन...........

**अबक**  ........ वादी/अपीलार्थी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

**अपील के आधार**

ऊपर नामित अपीलार्थी मूलवाद सं................. सन्............ ................... बनाम............. मे.............अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश .............................. की डिक्री दिनांकित ........... के विरुद्ध धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अपील दाखिल करता है और अपील के निम्नलिखित आधारों को उपवर्णित करता है जिसका मूल्यांकन .......... ................ रुपये है।

1. क्योंकि वादी समय के अन्दर विक्रय विलेख को निष्पादित करवाने के लिए उसकी तैयारी एवं रजामंदी को साबित करने में असफल हो गया। प्रतिकूल निचली न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है।
2. क्योंकि इसको अभिलेख पर पूर्णतया स्थापित किया जा चुका है कि वादी ने ही भंग किया था और न प्रतिवादी ने प्रतिकूल निचली न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है।
3. क्योंकि किसी नोटिस की तामील विक्रय-विलेख के निष्पादन के लिए नियत की गयी कालावधि के समक्ष वादी द्वारा प्रतिवादी को करायी गयी।
4. क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन सम्यक् सेवा की उपधारणा करने का प्रश्न, नोटिस की सेवा से सम्बन्धित साक्ष्य में दोनों पक्षकारों को प्रविष्ट किया जाने पर पैदा हुआ। प्रतिकूल निचली न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है।
5. क्योंकि यह पूर्णतया साबित कर दिया गया है कि डाकिया का साक्ष्य...... के कथन को देखते ही विश्वास करने योग्य नहीं था। निचली न्यायालय में आत्यांतिक रूप से अमान्य आधारों पर.............. के कथन को दोषपूर्ण ढंग से अस्वीकृत कर दिया है।
6. क्योंकि निचली न्यायालय ने विधिक स्थिति का गलत अर्थान्वयन किया है और सदोष निष्कर्ष पर गलती की है।
7. क्योंकि करार से पक्षकारों का आशय स्पष्ट है कि वे उनमें से किसी के द्वारा भंग के मामले में नुकसानी का संदाय करना एवं उसको प्राप्त करना चाहते थे और इसी वजह से एक समान रकम का करार में उल्लेख किया गया। निचली न्यायालय का यह दृष्टिकोण कि यह व्यक्ति बन्धी था, को न्यायसंगत ठहराया गया।
8. क्योंकि निचली न्यायालय द्वारा उद्धृत किये गये विनिर्णय के मामले के तथ्यों पर लागू नहीं और सुभेद करने योग्य नहीं है।
9. क्योंकि किसी मामले में संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए किसी वाद में सदोषतः डिक्री पारित की गयी है। वादी करार को प्रवर्तनीय बनाने के लिए विधितः हकदार नहीं था।
10. क्योंकि वादी को भंग के लिए नुकसानी का दावा करके संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का दावा करने के लिए अनधिकृत बना दिया गया है। निचली न्यायालय मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया।
11. क्योंकि निचली न्यायालय का निर्णय विधितः गलत है और अपास्त किया जाने योग्य है।

अतएव, यह प्रार्थना की जाती है कि अपील खर्च सहित अनुज्ञात की जाय, वादी का वाद खर्च सहित खारिज कर दिया जाय।

**अपीलार्थी के लिए**

**अधिवक्ता**